

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-बिलरियागंज25 हजार रुपये के ईनामिया (एटीएम क्लोन कर रुपये गायब करने वाला डी-71 गैंग का सक्रीय सदस्य) सहित दो अभियुक्त पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार, अवैध तमंचा व कारतूसबरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 17.02.2021 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा वांछित,ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्माणाधीन हाईवे के पास सियरहा बार्डर पर चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन कर रहे थे कि इसी दौरान एक मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्ति आजमगढ़ की तरफ से तेज रफ्तार में आते दिखाई दिये। पुलिस बल द्वारा टार्च की रोशनी में रुकने का इशारा किया गया कि तो उक्त व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल मोड़कर पीछे भागने के प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड पर ही गिर गयी। मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा अपने को पुलिस से घिरा देख अपने पास लिए असलहे से पुलिस पार्टी पर लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से फायर कर दिये। पुलिस बल द्वारा प्रशिक्षित तरिके से अपना बचाव करते हुए एक बारगी दबिश देकर घेर घारकर मौके से दो बदमाशों को समय 00.30 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया तथा एक बदमाश मोटर साइकिल लेकर भागने में सफल रहा। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछते पर क्रमशः अपना नाम (1) अमलेश गौतम पुत्र बासदेव गौतम निवासी भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ (2) विशाल गौतम पुत्र सुजीत गौतम निवासी सिसवारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताये तथा मोटर साइकिल लेकर भागने वाले बदमाश का नाम (3) रामविलास पुत्र सन्तलाल निवासी सुरहन थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताये। गिरफ्तार अभियुक्तों की मौके पर तलाशी में अभियुक्त अमलेश गौतम के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस .303 बोर तथा फरार अभियुक्त द्वारा फायरशुदा एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त अमलेश गौतम डी-71 गैंग का सदस्य है जिस पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पुर्व में 25,000/- रुपये का इनाम भी घोषित है। गिरफ्तारी एवम् बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः 1. मु0अ0सं0- 21/21 धारा 307/34 भादवि बनाम सभी अभियुक्तगण 2. मु0अ0सं0-22/21

धारा 3/25/27/30 आयुध अधि० बनाम अमलेश गौतम के पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पुछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि बीती रात थाना दीदारगंज क्षेत्र के बैरकडीह गांव के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त अमलेश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था तथा अभियुक्त नवीन गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आज यह अपने साथियों के साथ देवारा में छिपने के लिए जा रहा था उसी दौरान मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त अमलेश गौतम ने पुछताछ में स्वीकार किया है कि वह अपने साथी नवीन गौतम के साथ दिनांक 02.02.2021 को यूनियन बैंक आफ इण्डिया की शाखा महुवार के बाहर लगे ए०टी०एम० के पास खड़े होकर एक व्यक्ति का ए०टी०एम० कार्ड का क्लोनिंग कर उसी दिन शाम को खुदाद्वपुर थाना निजामबाद आजमगढ़ यूनियन बैंक के ए०टी०एम० से 21,000/- रूपया निकाला गया थे। जिसके सम्बन्ध में थाना तहबरपुर में इन लोगो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. अमलेश गौतम पुत्र बासदेव गौतम सा० भादो थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
2. विशाल गौतम पुत्र सुजीत गौतम सा० सिसवारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1. एक अदद तमंचा, एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस .303 बोर।
2. एक अदद फायर शुदा खोखा कारतूस .315 बोर।

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०सं० 21/21 धारा 307/34 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 22/21 धारा 3/25/27/30 आयुध अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास- अभियुक्त अमलेश गौतम

1. मु०अ०सं० 64/19 धारा 419/420 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 47/20 धारा 147/148/149/307/332/333/336/353/504/506 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं० 88/19 धारा 419/420 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
4. मु०अ०सं० 128/20 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
5. मु०अ०सं० 263/19 धारा 307 भादवि थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़।
6. मु०अ०सं० 264/19 धारा 411/413/414 भादवि थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़।
7. मु०अ०सं० 121/19 धारा 419/420 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
8. मु०अ०सं० 114/20 धारा 66 आई०टी० एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।
9. मु०अ०सं० 21/21 धारा 307/34 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

10. मु0अ0सं0 22/21 धारा 3/25/27/30 आयुध अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

11. मु0अ0सं0 14/21 धारा 66क आई0टी0 एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास- अभियुक्त विशाल गौतम पुत्र सुजीत

1. मु0अ0सं0 114/20 धारा 66 आई0टी0 एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 47/20 धारा 147/148/149/307/336/332/333/353/504/506 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

3. मु0अ0सं0 88/19 धारा 419/420 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

4. मु0अ0सं0 128/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

5. मु0अ0सं0 12/19 धारा 420 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

6. मु0अ0सं0 64/19 धारा 420 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

7. मु0अ0सं0 263/19 धारा 307 भादवि थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ ।

8. मु0अ0सं0 121/19 धारा 419/420 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।

9. मु0अ0सं0 21/21 धारा 307/34 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

2. उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव-द्वितीय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

3. का0 विनय यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

4. का0 संगम वर्मा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

5. का0 मन्टू शाह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।